

—सहमति पत्र—

मैंपुत्र श्रीनिवासी
अपने पुत्र/पुत्रीजो कि राजकीय उच्च माध्यमिक
विद्यालयमें कक्षामें नियमित अध्ययनरत है को केन्द्रीय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण आंशिक तौर
पर विद्यालय में पढाई प्रारम्भ करने के आदेश की अनुपालना में निम्नानुसार पूर्ण सहमति प्रदान
करता हूँ—
1. मेरा पुत्र/पुत्री भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार सोशियल डिस्टेन्सिंग का
पालन करेगा/करेगी।
2. विद्यार्थी के पास हेण्डसेनेटाइजर रहेगा तथा भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के
अनुसार इसका उपयोग करेगा।
3. विद्यार्थी विद्यालय आते समय तथा विद्यालय परिसर में मास्क का उपयोग करेगा।
4. भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स का पालन न करने/विद्यालय आने से बालक के
स्वास्थ्य के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।

हस्ताक्षर अभिभावक
मोबाईल

—सहमति पत्र—

मैंपुत्र श्रीनिवासी
अपने पुत्र/पुत्रीजो कि राजकीय उच्च माध्यमिक
विद्यालयमें कक्षामें नियमित अध्ययनरत है को केन्द्रीय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण आंशिक तौर
पर विद्यालय में पढाई प्रारम्भ करने के आदेश की अनुपालना में निम्नानुसार पूर्ण सहमति प्रदान
करता हूँ—
1. मेरा पुत्र/पुत्री भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार सोशियल डिस्टेन्सिंग का
पालन करेगा/करेगी।
2. विद्यार्थी के पास हेण्डसेनेटाइजर रहेगा तथा भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के
अनुसार इसका उपयोग करेगा।
3. विद्यार्थी विद्यालय आते समय तथा विद्यालय परिसर में मास्क का उपयोग करेगा।
4. भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स का पालन न करने/विद्यालय आने से बालक के
स्वास्थ्य के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।

हस्ताक्षर अभिभावक
मोबाईल

—सहमति पत्र—

मैंपुत्र श्रीनिवासी
.....अपने पुत्र/पुत्रीजो कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय
.....में कक्षामें नियमित अध्ययनरत है को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण आंशिक तौर पर विद्यालय
में पढ़ाई प्रारम्भ करने के आदेश की अनुपालना में निम्नानुसार पूर्ण सहमति प्रदान करता हूँ—
1. मेरा पुत्र/पुत्री भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार सोशियल डिस्टेन्सिंग का
पालन करेगा/करेगी।
2. विद्यार्थी के पास हेण्डसेनेटाइजर रहेगा तथा भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के
अनुसार इसका उपयोग करेगा।
3. विद्यार्थी विद्यालय आते समय तथा विद्यालय परिसर में मास्क का उपयोग करेगा।
4. भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स का पालन न करने/विद्यालय आने से बालक के
स्वास्थ्य के सम्बन्ध में समर्त जिम्मेदारी मेरी होगी।

हस्ताक्षर अभिभावक
मोबाईल

—सहमति पत्र—

मैंपुत्र श्रीनिवासी
.....अपने पुत्र/पुत्रीजो कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय
.....में कक्षामें नियमित अध्ययनरत है को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण आंशिक तौर पर विद्यालय
में पढ़ाई प्रारम्भ करने के आदेश की अनुपालना में निम्नानुसार पूर्ण सहमति प्रदान करता हूँ—
1. मेरा पुत्र/पुत्री भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार सोशियल डिस्टेन्सिंग का
पालन करेगा/करेगी।
2. विद्यार्थी के पास हेण्डसेनेटाइजर रहेगा तथा भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के
अनुसार इसका उपयोग करेगा।
3. विद्यार्थी विद्यालय आते समय तथा विद्यालय परिसर में मास्क का उपयोग करेगा।
4. भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स का पालन न करने/विद्यालय आने से बालक के
स्वास्थ्य के सम्बन्ध में समर्त जिम्मेदारी मेरी होगी।

हस्ताक्षर अभिभावक
मोबाईल

—सहमति पत्र—

मैंपुत्र श्रीनिवासी
अपने पुत्र/पुत्रीजो कि

.....में कक्षामें नियमित अध्ययनरत है को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण आंशिक तौर पर विद्यालय में पढाई प्रारम्भ करने के आदेश की अनुपालना में निम्नानुसार पूर्ण सहमति प्रदान करता हूँ—

1. मेरा पुत्र/पुत्री भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार सोशियल डिस्टेन्सिंग का पालन करेगा/करेगी।
2. विद्यार्थी के पास हेण्डसेनेटाइजर रहेगा तथा भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार इसका उपयोग करेगा।
3. विद्यार्थी विद्यालय आते समय तथा विद्यालय परिसर में मास्क का उपयोग करेगा।
4. भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स का पालन न करने/विद्यालय आने से बालक के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।

हस्ताक्षर अभिभावक
मोबाईल

—सहमति पत्र—

मैंपुत्र श्रीनिवासी
अपने पुत्र/पुत्रीजो कि

.....में कक्षामें नियमित अध्ययनरत है को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण आंशिक तौर पर विद्यालय में पढाई प्रारम्भ करने के आदेश की अनुपालना में निम्नानुसार पूर्ण सहमति प्रदान करता हूँ—

1. मेरा पुत्र/पुत्री भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार सोशियल डिस्टेन्सिंग का पालन करेगा/करेगी।
2. विद्यार्थी के पास हेण्डसेनेटाइजर रहेगा तथा भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार इसका उपयोग करेगा।
3. विद्यार्थी विद्यालय आते समय तथा विद्यालय परिसर में मास्क का उपयोग करेगा।
4. भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स का पालन न करने/विद्यालय आने से बालक के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।

हस्ताक्षर अभिभावक
मोबाईल